न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देसूरी(पाली) राज. केम्प कोर्ट देसूरी

पीठासीन अधिकारी :– श्री राजेश मेवाडा (आर.ए.एस.)
राजस्व वाद संख्या :– 154/2011
दायर तिथि :– 20.12.2011
निर्णय दिनांक :– 21.05.2018

वादी :–

1. हाजी मोहम्मद पिता श्री अलाबक्शजी
   जाति–मुसलमान, निवासी– देसूरी,
   तहसील–देसूरी, जिला–पाली , राजस्थान

ब ना म

प्रतिवादी :–

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदारजी देसूरी जिला पाली

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित धारा 136 राज. भू–राजस्व. अधिनियम

–: निर्णय :– **दिनांक :–21.05.2018**

पत्रावली राजस्व लोक अदालत केम्प कोर्ट देसूरी प्रस्तुत हुई। वादी अनुपस्थित व प्रतिवादी तहसीलदार देसूरी उपस्थित। वादी ने वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण अन्तर्गत धारा 88, 89, 188, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा ग्राम देसूरी में स्थित वादग्रस्त भूमि के नये खसरा संख्या 1674 में से रकबा 0.81 हेक्टर भूमि पूर्व मे गत खसरा नम्बर 509 वादी को दिनांक 23.06.76 को आंवटित की गई एवं ना.क. सख्या 2332 दिनांक 09.07.76 को वादी के नाम जमाबन्दी 2034–37 में इन्द्राज किया गया तब से वादग्रस्त भूमि पर वादी काबिज है नवीन बन्दोवस्त कार्यवाही से प्राप्त राजस्व रेकार्ड में वादग्रस्त भूमि हाल खसरा संख्या 1674 वादी के नाम इन्द्राज नहीं कर राजकीय सिवायचक खाते में दर्ज की गई। जिससे वादी के विरूद्ध धारा 91 की कार्यवाही की जा रही है अतः वादग्रस्त भूमि की खातेदारी की घोषणा व राजस्व रेकार्ड मे बतौर खातेदार वादी को दर्ज किये जाने का निवदेन किया। प्रतिवादी तहसीलदार देसूरी ने वादोत्तर प्रस्तुत कर निवेदन किया की वादग्रस्त भूमि नवीन खसरा संख्या 1674 सिवायचक दर्ज है। नवीन खसरा संख्या 1674 भू–प्रबंध से प्राप्त रेकार्ड मिलान क्षेत्रफल के अनुसार गत खसरा सं. 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422 से बनाया गया है। उक्त भूमि सिवायचक होने से धारा 91 की कार्यवाही नियमानुसार की जा रही है।

हमने पत्रावली एवं उपलब्ध राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया। यह प्रकरण वाद बिन्दु कायमी के लिये नियत है, परन्तु इस सम्पूर्ण प्रकरण में प्रश्न यह है कि वादग्रस्त भूमि हाल खसरा संख्या 1674 आया गत ख.सं. 509 से कायम है अथवा नही? राजस्व रेकार्ड के अवलोकन से यह स्पष्ट रूप से प्रामणित है कि गत

आवंटन की गई थी। प्रार्थी को गत खसरा संख्या 509 में किस स्थान पर आवंटन हुआ प्रमाणित नहीं है। इसके अतिक्ति मिलान क्षेत्रफल के अवलोकन से यह भी प्रमाणित है कि वादग्रस्त भूमि 1674 रकबा 178.98 हेक्टर भूमि में गत ख.सं. 409 का कोई भी भू–भाग सम्मिलित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया वादी का वाद किसी भी स्थिति में स्वीकार करने योग्य हम नहीं मानते है।

अतः वाद वादी खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर संख्या से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 21.05.2018 को केम्प कोर्ट देसूरी में सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी देसूरी

(राजेश मेवाडा)
उपखण्ड अधिकारी
देसूरी

प्रपत्र 5

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, देसूरी

शिविर – देसूरी

पीठासीन अधिकारी :– श्री राजेश मेवाडा आर.ए.एस.

वादी :–

1. हाजी मोहम्मद पिता श्री अलाबक्शजी
   जाति–मुसलमान, निवासी– देसूरी,
   तहसील–देसूरी, जिला–पाली , राजस्थान

ब ना म

प्रतिवादी :–

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदारजी देसूरी जिला पाली

दावा बाबत 88, 89, 188, 92ए राज.काश्त. अधिनियम 1955

मुकदमा नम्बर :– **154 / 2011**

निर्णय दिनांक :– **21.05.2018**

वादीगण की ओर से **वादी अनुपस्थित** व प्रतिवादी की ओर से **प्रतिवादी उपस्थित** में इस वाद में आज तारीख **21.05.2019** को (नाम पीठासीन अधिकारी) **राजेश मेवाडा आर.ए.एस.** उपखण्ड अधिकारी, देसूरी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि :–

अतः वाद वादी खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर संख्या से कम हो।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख **21** माह **मई** सन् **2018** को जारी किया गया।

मोहर

(राजेश मेवाडा)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
देसूरी